न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-60/2018/भीलवाडा (2018/00060)

1. गोरधनलाल पुत्र मूला, जाति वलाई निवासी पुरानी कचहरी के पास, जूनावास, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलांट

वनाम

1. श्रीमती लादी पुत्री भागीरथ उर्फ भागु पत्नी छोगा वलाई निवासी वलाईखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रभु पुत्र भागीरथ उर्फ भागु पत्नी लादू जाति वलाई निवासी चौपा तालाव के पास, माण्डल जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत वरण तहसील वनेडा जिला भीलवाडा जरिये सरपंच
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा दिनांक 03.05.2018 अंतर्गत अपील संख्या 01/2018.

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय, वकील रेस्पो0 संख्या 1एवं 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. राजकीय अभिभाषक श्री वी0एस0 शेखावत

निर्णय

दिनांक :- 17.12.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.05.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरहद रायसिंहपुरा, तहसील बनेडा के खाता संख्या 245 में आराजी ख0नं0 1269 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 1457 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1462 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा,

Scanned by CamScanner

1464 रकबा 10 बिस्वा, 1466 रकबा 8 बिस्वा, 1467 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1649 रकबा 6 बिस्वा कुला किता 7 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा व खाता संख्या 244 के खसरा नं0 1465 रकबा 3 बिस्वा स्थित है, जो अपीलांट की पत्नी सीता व सास श्रीमती नन्दू की शामलाती आराजीयात है। अपीलांट की पत्नी सीता व सास नन्दू की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 ने आपस में मिलीभगत कर अपीलांट की पत्नी सीता को लाऔलाद फौत होना बताकर सीता व नन्दू दोनों के वारिस रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा अकेली होना बताकर अपने नाम पर तथाकथित नामा0सं0 1535 दिनांक 06.09.2017 को ग्राम पंचायत, बरण से स्वीकृत करवा लिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के यहां प्रस्तुत की, जिसे उन्होनें अपने आदेश दिनांक 03.05.2018 के द्वारा अपील को अस्वीकार करते हुए रेस्पो0 के पक्ष में स्वीकृत नामा0 सं0 1535 दिनांक 06.09.2017 को यथावत बहाल रखा जाने का आदेश पारित कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि ग्राम पंचायत, बरण द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये ही रेस्पो0 के हक में नामान्तरकण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं किया कि सीता पुत्र भागीरथ उर्फ भागु बलाई निवासी रायसिंहपुरा जो कि अपीलांट की विवाहिता पत्नी होकर अपीलांट सीता बलाई का पति होकर विधिक वारिस व उत्तराधिकारी होते हुए भी रेस्पो0सं0 1 व 2 ने रेस्पो0 सं0 3 से मिलीभगत कर अपीलांट की पत्नी को नाऔलाद फौत होना बताकर अपने पक्ष में ग्राम पंचायत से नामा0 स्वीकृत करवा लिया। अपनी बहस में उन्होनें आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी ध्यान नहीं किया कि मृतक सीता देवी के कोई जायन्दा पुत्र एवं पुत्री नहीं होने की दशा में सीता देवी का एक मात्र उत्ताराधिकारी उसका पति है। सीता देवी द्वारा धारित आराजी को प्राप्त करने के लिए अपीलांट एक मात्र विरासत के आधार पर अधिकारी है, इस कारण सीता देवी के देहान्त के बाद विवादित आराजी का विरासत का नामातन्तरकण अपीलांट के नाम स्वीकार करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था। दौराने बहस अपी0 अभि0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर संलग्न प्रमाणित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

पत्र एवं दस्तावेजात की प्रतियां रेस्पो0 अभि0 को दिलवाई गई। अभि0 अपी0 ने प्रार्थना पत्र बाबत कथन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 23.08.2017 को प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्ताराधिकार अधिनियम 1825 न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाडा में प्रस्तुत किया, जो प्र0सं0 22 सन 2017 (मु.दी.) पर दर्ज होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2018 को आदेश पारित करते हुए अपी0 गोरधनलाल को पत्नी स्व0 सीतादेवी का उत्ताराधिकारी मानकर दिनांक 05.04.2018 को उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर भारतीय स्टेट बैंक पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बनेडा जिला भीलवाडा को स्व0 सीतादेवी के नाम जमा राशि का भुगतान अपी0 गोरधनलाल को करने हेतु उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियां, कानूनी नजीरे एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को समझे बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 03.05.2018 अपास्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत, बरण द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 1535 दिनांक 06.09.2017 को निरस्त फरमाया जावें। xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । सर्वप्रथम उन्होनें अभि0 अपी0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर संलग्न प्रमाणित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कथन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 23.08.2017 को प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्ताराधिकार अधिनियम 1825 न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाडा में प्रस्तुत किया, जो प्र0सं0 22 सन 2017 (मु.दी.) पर दर्ज होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2018 को आदेश पारित करते हुए अपी0 गोरधनलाल को पत्नी स्व0 सीतादेवी का उत्ताराधिकारी मानकर दिनांक 05.04.2018 को उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलांट श्री गोरधनलाल द्वारा अधी0न्याया (उपखण्ड अधिकारी, बनेडा) के यहां प्रस्तुत अपील दिनांक 11.01.2018 को दर्ज होकर दिनांक 03.05.2018 को निर्णित हुआ है। अपी0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जिला न्यायाधीश, भीलवाडा द्वारा जारी उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायालय हाजा में भी अपी0 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 06.08.2018 को दर्ज हुई। अब उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र केवल मात्र सीता देवी के बैंक खाते से भुगतान प्राप्त करने बाबत है, जिसका इस प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अभि0 रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी सीता देवी को अपने पीहर पक्ष से विरासत में मिली है। सीता देवी के कोई जायन्दा पुत्र, पुत्री वारिस नहीं होने से हिन्दू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) (ए) के सुस्थापित प्रावधानों के तहत "कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट कम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी।" ऐसी स्थिति में विवादित आराजी सीता देवी के पति को प्राप्त न होकर उसके पिता के वारिसान अर्थात उसकी बहनें रेस्पो0सं0 1 व 2 को प्राप्त होगी। ग्राम पंचायत, बरण द्वारा अपीलाधीन नामा0 सं0 1535 दिनांक 06.09.2017 सही तौर पर स्वीकृत किया गया है। जो विधिसम्मत है तथा उक्त आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय भी पूर्णतय विधि अनुसार है। विद्वान अभि0 रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में The Hindu succession Act 1956 – Sec. 15 (2) क, CCC 2018 (2) Bombay 365, Civil Procedure code 1908 – O.41 R.27, RRT 2017 (1) SC 578 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोर्डेंटस की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हम अपी0 अभि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. पर निर्णय लेना उचित समझते है। अपीलांट श्री गोरधनलाल द्वारा अधी0न्याया (उपखण्ड अधिकारी, बनेडा) के यहां प्रस्तुत अपील दिनांक 11.01.2018 को दर्ज होकर दिनांक 03.05.2018 को निर्णित हुआ है। अपी0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जिला न्यायाधीश, भीलवाडा द्वारा जारी उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 03.05.2018 से पूर्व जिला न्यायाधीश, भीलवाडा से दिनांक 05.04.2018 को प्राप्त कर लिया था। न्यायालय हाजा में भी अपी0 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 06.08.2018 को दर्ज हुई। अपील मीमो में अपी0 द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बाबत कोई कथन स्पष्ट नहीं किया गया है। अब उत्ताराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र केवल मात्र सीता देवी के बैंक खाते से भुगतान प्राप्त करने बाबत है, जिसका इस प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात मृतक सीतादेवी को उसके पीहर पक्ष से विरासत में प्राप्त हुई है। मृतक सीतादेवी के कोई जायन्दा पुत्र एवं पुत्री नही होना भी स्वीकार्य है। हमने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 हिन्दू नारी के दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम का अवलोकन किया हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) (ए) में प्रावधान है कि "कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट कम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यागत होगी।'' ऐसी स्थिति में हम अभि0 रेस्पो0 के कथन से पूर्णतः सहमत है। अधी0अपीलीय न्याया0 द्वारा उक्त कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधी0 अपीलीय न्याया0 का निर्णय दिनांक 03.05.2018 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । xx

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 60/2018 (2018/00060) बउनवानी गोरधनलाल बनाम श्रीमती लादी व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 01/2018 बउनवान गोरधनलाल बनाम श्रीमती लादी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.16 11:32:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: